संख्या-16/2022/692/60-1-22-1/13(72)/06

प्रेषक,

अनामिका सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 25 जूलाई, 2022**

विषय:- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में से है, योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे शत्-प्रतिशत् लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में महिला कल्याण विभाग में आधार प्रमाणीकरण कराये जाने हेतु पर्याप्त संख्या में क्षेत्रीय कर्मचारी उपलब्ध नही है, तथापि विभाग स्तर पर उपलब्ध जनशक्ति से तथा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों द्वारा भी एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (https://sspy-up-gov.in) पर लॉगिन करते हुये जन सुविधा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर), साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर कम्प्यूटर या मोबाइल के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण का कार्य कराया जा रहा है। अभी तक निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त कर रहे कुल 31.50 लाख पेंशनरों के सापेक्ष 15.26 लाख पेंशनरों द्वारा ही आधार प्रमाणीकरण कराया गया है, जो कि पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का मात्र 48.44 प्रतिशत ही है।

2- उक्त आधार प्रमाणीकरण की प्रकिया में अपेक्षित गति लाए जाने हेतु आपके स्तर से निम्नवत् कार्यवाही अपेक्षित है:-

(i) ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

(ii) खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, सफाई कर्मचारी आदि का दायित्व निर्धारित करते हुये आधार प्रमाणीकरण का कार्य करायेंगे।

(iii) नगर क्षेत्र में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(iv) उपजिलाधिकारी क्षेत्रीय लेखपाल, संग्रह अमीन, कर निरीक्षक, नगर निगम, नगर पंचालत, नगर पालिका से आधार प्रमाणीकरण का कार्य करायेंगे।

(v) यदि किसी लाभार्थी का नाम पेंशन की सूची तथा आधार में भिन्न है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित पेंशनर का आधार नम्बर तथा मोबाईल नम्बर जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।

3- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हेतु आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया निम्नवत् है:-

(i) सर्वप्रथम एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की वेबसाइट https://sspy-up-gov.in पर जाएं।

(ii) निराश्रित महिला पेंशन पोर्टल पर जाएं तथा लाल रंग की पट्टी आधार प्रमाणीकरण के लिए फ्लैश हो रही है उसे क्लिक करें।

(iii) यदि लाभार्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर नही पता है तो निराश्रित महिला पेंशन सेलेक्ट करके पेंशन सूची में जाए-अपना जनपद सेलेक्ट करें, विकास खण्ड सेलेक्ट करें, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करें व ग्राम सेलेक्ट करें, पूरी पेंशनर सूची उपलब्ध होगी जिससे अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर नोट कर लें।

(iv) पेंशन का प्रकार सेलेक्ट करें, निराश्रित महिला पेंशन चयन करें, रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करें, मोबाईल नम्बर दर्ज करें-बैंक एकाउन्ट नम्बर भी इंटर किया जायेगा। कैप्चा लिखें सबमिट करें।

(v) लाभार्थी के मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को दर्ज करें तथा सबमिट करें।

(vi) लाभार्थी का नाम पेंशनर सूची में व आधार में समान है, तो उसका रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ आधार का प्रमाणीकरण हो जायेगा।

(vii) लाभार्थी का नाम पेंशन सूची तथा आधार के नाम में अंतर हो तो पेंशनर का नाम आधार के अनुसार करेक्शन कर जिला प्रोबेशन अधिकारी को फॉरवर्ड करना है। उक्त के अतिरिक्त आधार कार्ड की छायाप्रति में मोबाइल नम्बर दर्ज करते हुये पासबुक की छायाप्रति के साथ कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी को जमा कर आधार प्रमाणीकरण करवा सकते हैं।

(viii) पेंशन सूची में अंकित नाम व आधार में अंकित नाम में अंतर होने पर किसी भी दशा में दोबारा प्रयास न करें, अन्यथा आपका डाटा लॉक हो जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ix) जिन लाभार्थियों का डाटा लॉक हो गया है वह जिला प्रोबेशन अधिकारी, कार्यालय से सम्पर्क कर अपना आधार प्रमाणीकरण करवा सकते हैं।

(x) जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रतिदिन लाभार्थी से फारवर्ड डाटा की विस्तृत रूप से जांच करके नाम में त्रुटि होने पर उसे आधार के अनुसार जांच करके अपने डिजिटल सिग्नेचर से Accept करेंगे।

(xi) जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा नाम की त्रुटि सही करने के 24 घंटे बाद लाभार्थी को फिर से पेंशन पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करना होगा तथा आधार का प्रमाणीकरण करना होगा।

4- उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर दिनांक 01.08.2022 से 20.08.2022 तक आधार प्रमाणीकरण हेतु विशेष अभियान के माध्यम से विकास खण्ड स्तर, ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगवाकर शत्-प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण कराने का कष्ट करें, ताकि पेंशनरों का शत्-प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

भवदीया
(अनामिका सिंह)
सचिव

संख्या-16/2022/692/60-1-22-1/13(72)/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
2- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4- समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।
5- गार्ड फाइल।

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।